

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, बदायूँ, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहाँपुर, कासगंज, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, आगरा, चित्रकूट, जालौन, मीरजापुर, इटावा, भदोही एवं प्रतापगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 11 जून, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 7,40,00,000/- (रुपये सात करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि कालम-2 में अंकित में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-3 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| (धनराशि लाख रु० में) |              |                |
|----------------------|--------------|----------------|
| क्रमांक              | जनपद का नाम  | स्वीकृत धनराशि |
| 1                    | 2            | 3              |
| 1                    | महाराजगंज    | 20.00          |
| 2                    | कुशीनगर      | 20.00          |
| 3                    | लखीमपुर खीरी | 20.00          |
| 4                    | गोरखपुर      | 20.00          |
| 5                    | बस्ती        | 20.00          |
| 6                    | बहराइच       | 20.00          |
| 7                    | बिजनौर       | 20.00          |
| 8                    | सिद्धार्थनगर | 20.00          |
| 9                    | गाजीपुर      | 20.00          |
| 10                   | गोण्डा       | 20.00          |
| 11                   | बलिया        | 20.00          |
| 12                   | देवरिया      | 20.00          |
| 13                   | सीतापुर      | 20.00          |

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| 15                              | अयोध्या       | 20.00  |
| 16                              | मऊ            | 20.00  |
| 17                              | फर्रुखाबाद    | 20.00  |
| 18                              | बदायूँ        | 20.00  |
| 19                              | अम्बेडकरनगर   | 20.00  |
| 20                              | श्रावस्ती     | 20.00  |
| 21                              | आजमगढ़        | 20.00  |
| 22                              | संतकबीरनगर    | 20.00  |
| 23                              | पीलीभीत       | 20.00  |
| 24                              | बाराबंकी      | 20.00  |
| 25                              | सहारनपुर      | 10.00  |
| 26                              | शामली         | 10.00  |
| 27                              | अलीगढ़        | 10.00  |
| 28                              | बरेली         | 10.00  |
| 29                              | हमीरपुर       | 10.00  |
| 30                              | गौतमबुद्ध नगर | 10.00  |
| 31                              | रामपुर        | 10.00  |
| 32                              | प्रयागराज     | 10.00  |
| 33                              | बुलन्दशहर     | 10.00  |
| 34                              | मुरादाबाद     | 10.00  |
| 35                              | हरदोई         | 10.00  |
| 36                              | वाराणसी       | 10.00  |
| 37                              | उन्नाव        | 10.00  |
| 38                              | लखनऊ          | 10.00  |
| 39                              | शाहजहाँपुर    | 10.00  |
| 40                              | कासगंज        | 10.00  |
| 41                              | जौनपुर        | 10.00  |
| 42                              | झांसी         | 10.00  |
| 43                              | ललितपुर       | 10.00  |
| 44                              | बांदा         | 10.00  |
| 45                              | आगरा          | 10.00  |
| 46                              | चित्रकूट      | 10.00  |
| 47                              | जालौन         | 10.00  |
| 48                              | मीरजापुर      | 10.00  |
| 49                              | इटवा          | 10.00  |
| 50                              | भदोही         | 10.00  |
| कुल योग                         |               | 740.00 |
| (रु० सात करोड़ चालीस लाख मात्र) |               |        |

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 7,40,00,000/- (रू0 सात करोड़ चालीस लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 1019 (1)/एक-10-2021-33(36)/2018टीसी-1, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)  
सचिव।